(1)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, रामबाग रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13 ( )वृ.क./म.नि./सान्याअवि/08/38497 जयपुर, दिनांक: 12.6.08

चिरायु योजना – 2008

राज्य के उपेक्षित वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से "चिरायु योजना" का प्रारम्भ किया जाता है। इस योजना के तहत PPP आधारित Old-age home (वृद्धाश्रम) चलाये जायेगें। योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के नियम निम्न प्रकार होगें:

1. **उद्देश्य** : इस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से राज्य में अधिक से अधिक वृद्ध आश्रमों का संचालन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत जरूरतमंद वृद्धों को आवसीय, अनुवर्ती शिक्षा, मंनोरजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आत्म परितोष, स्वास्थ, पोषण एवं देखभाल की सुविधाऐं प्रदान की जायेगी। वृद्धाश्रमों का संस्थागत जीवन सामान्य पारिवारिक एवं सामुदायिक परिस्थितियों जैसा ही हो। वृद्धाश्रम वृद्धजनों को अपने परिवार के सदस्यों व समुदाय के साथ परस्पर संवाद को भी प्रोत्साहित करेगा।
2. **योजनाअन्तर्गत भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए शर्तें:**
   i. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या राज्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो अथवा,
   ii. तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सार्वजनिक न्यास अथवा,
   iii. कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 525 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी अथवा,
   iv. वृद्धों का स्व-सहायता समूह जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत या सार्वजनिक न्यास के रूप में रजिस्टरर्ड हो।
   v. इसका विधिवत् रूप से एक प्रबंध निकाय गठित हो जिसकी शक्तियां, कर्तव्य व उत्तरदायित्व स्पष्टतः परिभाषित होने चाहिए तथा लिखित में निर्धारित होने चाहिए।
   vi. इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए नही चलाया जाएगा।

(2)

vii. ... एक उपयुक्त प्रशासनिक संरचना तथा विधिवत गठित प्रबंधन/ कार्यकारी समिति का होना आवश्यक है।

viii. संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्य तथा उद्देश्य एवं उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने में कार्यक्रम संक्षेप में दिये हो।

ix. संगठन, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर अपने सदस्यों द्वारा चलाया एवं नियंत्रित किया जाता हो।

x. संगठन दो वर्ष से पंजिकृत रहा हो।

xi. राज्य सरकार के अनुदान से बने भवनों के सही उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्था संचालक मण्डल में पर्याप्त संख्या में राज्य सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि रखने का प्रावधान संस्था के संविधान में करना होगा।

xii. वृद्धाश्रम निर्माण हेतु आवेदन करने वाली संस्था/ ट्रस्ट के पास भूमि का पट्टा होना आवश्यक होगा।

xiii. योजना हेतु आवेदन करने वाली संस्था को अपने आवेदन के साथ भूमि का पट्टा, प्रस्तावित भवन का सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुबंधित सिविल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं अनुमानित लागत का विवरण, नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका / पंचायती राज संस्थान द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति पत्र की प्रति।

xiv. वृद्धाश्रम भवन में कम से कम 25 वृद्धजनों के निवास एवं उनके लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था का ध्यान रखना होगा।

xv. संस्था के गत दो वर्ष के क्रियाकलापों एवं सी.ए. से प्रमाणित आडिट स्टेटमेंट तथा संस्था के चल एवं अचल सम्पति का विवरण।

3 **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया** : निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा संस्था की निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जावेगी। जिला कलक्टर द्वारा प्रस्ताव पर अपनी अभिशंषा आयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित करेगें।

4 वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया :

i. राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टरों की अभिशंषा के साथ प्राप्त ऐसे आवेदनों पर विचार करने हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में किया जायेगा।

ii. समिति द्वारा पात्र पाये गये आवेदकों की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने के उपरान्त संस्था को वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

iii. भवन निर्माण हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जा सकेगी। उक्त स्वीकृत राशि की 70 प्रतिशत राशि संस्था को परियोजना की स्वीकृति के समय जारी की जायेगी, 30 प्रतिशत राशि संस्था को इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद जारी की जायेगी कि वृद्धाश्रम भवन का निर्माण कार्य छत स्तर तक पहुँच चुका है। द्वितीय किश्त के लिये भेजे गये आवेदन पत्र के साथ संस्था/ संगठन द्वारा अब तक किये गये व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

iv. संस्था को भवन निर्माण का कार्य 18 महिनों में पूर्ण करना होगा।

v. राज्य स्तरीय समिति प्रत्येक जिले मे कम से कम एक वृद्धाश्रम भवन निर्माण/संचालन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावों पर विचार करेगी।

vi. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पी.पी.पी. के आधार पर वृद्धाश्रम निर्माण हेतु राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या एफ 4 (1)/रेवन्यू-6/ 2002/ 1 दिनांक 13.2. 2002 के अन्तर्गत 1000 वर्गगज भूमि संस्था को निःशुल्क आवंटित की जा सकेगी। संस्था द्वारा वृद्धाश्रम हेतु इससे अधिक भूमि चाहे जाने पर अतिरिक्त भूमि के लिए पंचायती राज संस्थाओं अथवा राजस्व विभाग द्वारा डी.एल.सी. दर की 50 प्रतिशत रियायती राशि पर अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया जा सकेगा।

vii. शहरी क्षेत्रों में ऐसे वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प-3 (55)न.वि.वि/3/2000 दिनांक 14.2.2005 के अन्तर्गत संस्था को 1000 वर्गगज भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जा सकेगा।

viii. संस्थाओं द्वारा वृद्धाश्रमों निर्माण हेतु रियायती दर पर भू-आवंटन तथा भवन निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने के मामलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक अधिकारी को संस्था के प्रबन्ध कार्यकारिणी में रखना अनिवार्य होगा।

(5)

5 **वृद्धजनों हेतु निर्मित कराए जाने वाले भवनों में निम्नानुसार न्यूनतम सुविधाओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :**

1. आवास हेतु डोरमेट्रीज में प्रतिआवासी 40 वर्गफीट स्थान उपलब्धता। (6 आवासी से अधिक आवासी एक डोरमेट्री में ना हों।)
2. प्रत्येक डोरमेट्री के साथ अटैच, लेट्रिन बाथरूम हो।
3. महिलाओं व पुरूषों के लिए पृथक-पृथक आवास व्यवस्था।
4. आवासीय कक्ष में प्राकृतिक प्रकाश व स्वच्छ वायु के आने की व्यवस्था।
5. कपड़े आदि धोने का उचित स्थान।
6. स्वच्छ रसोई घर एवं भोजन कक्ष की व्यवस्था।
7. मनोरंजन कक्ष में एक समय में कम से कम 60 व्यक्तियों के बैठने का स्थान।
8. कार्यशाला कक्ष (महिलाओं/ पुरूषों हेतु पृथक-पृथक)
9. चिकित्सा कक्ष।

उक्त आवश्यक कक्षों के साथ ही भवन के भीतरी व बाहरी भाग में खुले स्थान (खेलकूद हेतु समुचित स्थान) की उपलब्धता का ध्यान भवन निर्माण में रखना होगा।

6. **संस्था द्वारा आवासियों को निम्नानुसार न्यूनतम सुविधाऐं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा :**

1. स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन, बिस्तर, पलंग वर्ष में कम से कम 4 जोड़ी पहनने के कपड़े, प्रातः व सायं नाश्ता, दो समय चाय, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, नहाने धोने हेतु समुचित पानी की व्यवस्था।
2. आवासियों की प्रारम्भिक चिकित्सा की व्यवस्था, गंभीर बीमारी पर निकटतम चिकित्सालय ले जाने की व्यवस्था।
3. इन्डोरगेम व मनोरंजन, समाचार पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था।
4. सृजनात्मक/ रचनात्मक कार्यो की व्यवस्था।
5. वृद्धों की देख-रेख हेतु केयर- टेकर।

6. संगठन द्वारा आवासियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बंध में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन लिये बिना, ऐसा कोई परिवर्तन नही किया जायेगा जो उनके लिए अलाभकारी हो।

7. **वृद्धाश्रम में प्रवेश :**

(1) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवारों के 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र के पुरूष, व 55 वर्ष व उससे अधिक उम्र की महिलाओं को वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली (BPL)सूची में पंजीकृत होने से वंचित वृद्धजन जो अन्यथा निर्धन, निराश्रित, (Destitute) असहाय हों को भी वृद्धाश्रम में प्रवेश मिल सकेगा। ऐसे वृद्धजन को वृद्धाश्रम में प्रवेश प्रदान करने की अनुमति के लिए आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समस्त संभागीय आयुक्त व समस्त जिला कलक्टर अधिकृत होंगे।

(3) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वृद्धाश्रमों को बी.पी.एल परिवारों अथवा अन्य निर्धन, निराश्रित, असहाय वृद्धों हेतु निःशुल्क चलाये जाने के तथ्य को प्रशासनिक विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति वृद्धजन के लिए 675 रूपये प्रतिमाह नगद सहायता (एक वृद्धाश्रम में अधिकतम 25 वृद्धजनों के लिये) प्रदान की जायेगी।

8. संस्था द्वारा संस्था संचालन हेतु आवश्यक कार्मिकों के वेतन/ बिजली पानी, चिकित्सा का भार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

9. अनुदानग्राही संस्था को दिये गये अनुदान के लिए अलग खाता रखेगी जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और लेखा परीक्षकों अथवा भारत सरकार के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जॉच किये जाने के लिए उपलब्ध रहेगें। अवधि समाप्त होने पर संस्था अनुदान के लेखो की सरकारी लेखा परीक्षक या सनधी लेखाकार से लेखा परीक्षा करायेगी तथा लेखापरीक्षित लेखों की प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजेगी। अनुदान से व्यय न की गई राशि संगठन द्वारा राज्य सरकार को वापिस कर दी जायेगी।

(6)

परियोजना की राज्य सरकार के किसी अधिकारी, नियंत्रक, लेखा परीक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी जॉच की जा सकती है। परियोजना के लेखे अलग बनाये रखे जायेगें तथा मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेगे। इनकी जॉच किसी भी स्तर से की जा सकती है।

11. भवन निर्माण हो जाने के बाद, संगठन/ संस्था द्वारा राज्य सरकार/ विभाग को निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियॉ प्रस्तुत करेगा :

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अनुमोदित संगठनों/ एजेन्सियों से इस आशय का प्रमाण पत्र कि भवन को अनुमोदित योजना व प्राक्कलनों के अनुरूप ही बनाया गया है।
2. भवन निर्माण पर हुए व्यय के बारें में प्राधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत रूप से संपरीक्षित विवरण।
3. संगठन प्रमुख यह सुनिश्चित करेगें की सार्वजनिक निर्माण विभाग या किसी अन्य एजेन्सी का अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस परियोजन के लिए निर्दिष्ट अधिकारी कभी भी भवन का निरीक्षण कर सकते है।
4. निर्माण के दौरान तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने जाने के बाद सरकार कोई भी अनुदेश, जो इस ओर से राज्य सरकार द्वारा यथा स्थिति, जारी किये जा सकेगें, कार्यान्वित करने का दायित्व संगठन प्रमुख का होगा।

12. **नियमों में शिथिलता** । इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नही दी जायेगी। इन नियमों की व्याख्या आयुक्त/ निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी और वही अन्तिम एवं बन्धककारी माना जायेगा।

13. प्रस्ताव हेतु आवेदन एवं निरीक्षण का प्रारूप परिशिष्ठ 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(डॉ. (श्रीमती) मालोविका पवार)
प्रमुख शासन सचिव

(7)

क्रमांक : एफ 13 ( )वृ.क./म.नि./सान्याअवि/08/ 38498-38618 जयपुर, दिनांक : 12.6.08

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त.....
7. जिला कलक्टर, ...
8. मुख्य लेखाधिकारी/ परियोजना निदेशक (एस.सी.पी.), मुख्यावास।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास।
10. कोषाधिकारी, ...
11. उपनिदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
12. आदेश पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (परिवीक्षा)

विद्युत योजना का आवेदन पत्र

1	संगठन/संस्था का नाम	:	
	पता	:	
	फोन नम्बर	:	
	मोबाईल नम्बर	:	
	फैक्स	:	
2	किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है	:	
	रजिस्ट्रेशन संख्या व रजिस्ट्रेशन की तारीख व विधान एवं उद्देश्यों की प्रति (सत्यापित प्रति लगाएं)	:	
3	विदेशी अभिदाय अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन (यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्राप्त सहायता का सत्यापित विवरण)	:	हाँ/नहीं
4	प्रबंध मंडल/शासी निकाय के सदस्यों के नाम एवं पता तथा वर्तमान प्रबंध मंडल के गठन की तारीख (सत्यापित प्रतियाँ)	:	
5	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची	:	
	i पिछले 2 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति जिसमें तुलनपत्र हो		
	ii संगठन/संस्था द्वारा पिछले 2 वर्षों की प्राप्ति व भुगतान लेखा (आय-व्यय का सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखे)		
6	संस्था की चल व अचल सम्पत्तियों का प्रमाणित ब्यौरा	:	
7	परियोजना का विस्तृत विवरण (प्रोजेक्ट रिपोर्ट)	:	
A	क्षेत्र जहाँ परियोजना प्रारम्भ की जानी है अथवा की जा रही है, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का विवरण	:	
B	सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों का लक्ष्य समूह (महिला/पुरुष)। यदि केन्द्र महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए है तो उनके रहने की पृथक्-पृथक् व्यवस्था की विवरण। (परियोजना के मानचित्र में पृथक्- पृथक् दर्शाया जाये)	:	
C	प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं तथा लाभार्थियों से लिया जाने वाला प्रभार, यदि कोई हो तो उनका विवरण	:	
D	योजना के संचालन में संगठन की विशेषज्ञता एवं अनुभव का विवरण	:	
E	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसी परियोजना के लिए प्राप्त अनुदानों का विवरण (यदि कोई हो)	:	

(9)

F जिस भूमि पर परियोजना प्रस्तावित है : उसकी स्पष्ट हकदारी का प्रमाणित विवरण

i दान में प्राप्त भूमि का संस्था के नाम से खातेदारी में इन्द्राज का प्रमाणित दस्तावेज

ii आवासीय भूमि का पट्टा, सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुबंधित सिविल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित वृद्धाश्रम का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) व अनुमानित लागत का विवरण (सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों के अनुसार) :

iii शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र :

8 संस्था का बैंक खाता संख्या (बैंक के नाम व स्थान सहित) : | | | | | | | | | | | |

9 गत दो वर्षों के बैंक से आहरण एवं जमा का प्रमाणित विवरण :

10 नियोजित स्टाफ का विवरण (नाम, पद, आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रदान किये जा रहे मानदेय का विवरण) :

11 अतिरिक्त कागजात की सूची, यदि कोई हो :

12 संस्था द्वारा आहरण-वितरण हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पता, दूरभाष संख्या के साथ ही इन्हें इस कार्य हेतु प्राधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति :

हस्ताक्षर (प्राधिकृत पदाधिकारी) :

नाम :

पता/मोहर :

तारीख :

नोट : आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट तथा प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर की अभिशंषा के साथ ही भिजवावें।

शपथ-पत्र

(शपथ-पत्र ..... रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है)

मैंने इस योजना को पढ़ लिया है और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। मैं इस योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

नाम : पता/तारीख :

निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

"विद्युत योजना–2008 के अंतर्गत वृद्धाश्रम के निरीक्षण हेतु"

1 निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद :

2 निरीक्षण का दिनांक :

3 संस्था/संगठन का नाम व पता :

4 संस्था सचिव/अध्यक्ष के सम्पर्कसूत्र, मो. नम्बर :

5 संस्था द्वारा जहाँ केन्द्र संचालित किया जा रहा उस स्थान का पूर्ण पता :

6 निरीक्षण के समय उपस्थित वृद्धजनों की संख्या :

7 संचालित केन्द्र का भवन सुरक्षित है? :

8 संस्था द्वारा रिकॉर्ड का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं ?

9 स्टाफ का ब्यौरा :

10 उपस्थिति पंजिका अनुसार प्रवेशित वृद्धजनों का ब्यौरा :

11 बैंकर्स के नाम व खाता संख्या :

12 वृद्धाश्रम में भवन की स्थिति :

a. प्रस्तावित भूमि में बाउण्ड्री–वॉल है या नहीं :

b. भवन तक पहुंचने का रास्ता सुगम है या नहीं :

c. निर्माण कार्य की स्थिति (भूमि पूर्णतः खाली अथवा आंशिक निर्मित) :

d. भवन में कमरो की संख्या एवं स्थान उपयुक्त/पर्याप्त है? :

e. भवन में बिजली–पानी की उपलब्धता है अथवा नही :

13 संस्था द्वारा अनुदान का रिकार्ड का नियमानुसार संधारित किया जा रहा है :

a. संस्था के आडिट स्टेटमेंट/आय–व्यय विवरण।

b. संस्था के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।

c. पूर्व में किये गये जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपार्ट सन्तोषप्रद रही?

(1)

प्रमाणित किया जाता है कि चिरायु योजना–2008 के दिशा–निर्देशानुसार संचालन किया जा रहा है तथा सभी दस्तावेजों की जांच सन्तोषप्रद है एवं संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। संस्था को चिरायु योजना–2008 के अंतर्गत वृद्धाश्रम का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम मय कार्यालय की मोहर :